



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062024-254591
CG-DL-E-06062024-254591

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 4, 2024/ज्येष्ठ 14, 1946

No. 285]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 4, 2024/JYAISHTHA 14, 1946

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2024

सा.का.नि. 306(अ).—केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 101 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ज) के साथ पठित धारा 13 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (भर्ती, वेतन, भत्ता एवं अधिकारी और प्राधिकरण के अन्य कर्मचारियों के लिए सेवा की नियम एवं शर्तें) भर्ती नियम, 2024 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषा.**-(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "अधिनियम" का अर्थ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35);
(ख) "कर्मचारी" का अर्थ है केंद्रीय प्राधिकरण का कोई कर्मचारी जिसमें सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी शामिल हैं;
(ग) "अनुबंध" का अर्थ है इन नियमों के साथ संलग्न अनुबंध।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

3. **कर्मचारियों की भर्ती एवं नियुक्ति.**-(1) प्रत्येक स्तर या ग्रेड पर स्वीकृत पदों की संख्या, भर्ती का तरीका और प्रत्येक स्तर या ग्रेड के लिए पात्रता अनुबंध में निर्दिष्ट अनुसार होगी।
 (2) सभी स्तरों या ग्रेड में नियुक्तियां केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची में निर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिशों के अनुसार की जाएंगी।
 (3) केंद्रीय प्राधिकरण उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करेगा, उनकी उम्मीदवारी की उपयुक्तता की जांच करेगा, और चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची चयन समिति को प्रदान करेगा।
4. **वेतन, भत्ता और अन्य लाभ.**-(1) कर्मचारियों का वेतन अनुसूची में निर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स के स्तर के अनुसार होगा।
 (2) किसी पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी या तो पूर्व-संवर्ग पद के वेतनमान में वेतन या प्रतिनियुक्ति भत्ते के साथ मूल संवर्ग में अपना वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है।
5. **विदेशी आधिकारिक दौरे.**-(1) प्राधिकरण के कर्मचारी द्वारा विदेश की आधिकारिक यात्राएं केंद्रीय प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त या आयुक्त की पूर्व अनुमति से की जाएंगी।
 (2) किसी कर्मचारी द्वारा विदेश की आधिकारिक यात्रा के प्रयोजन के लिए विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
6. **अवशिष्ट प्रावधान.**-प्राधिकरण के कर्मचारियों की सेवा के नियमों और शर्तों से संबंधित मामले जिनके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, प्राधिकरण द्वारा अपने निर्णय के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और केंद्र सरकार का निर्णय पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।
7. **शिथिल करने की शक्ति.**-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

अनुबंध

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या गैर-चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सचिव	01 *(2024) *कार्यभार के आधार पर विभिन्नता के अध्यक्षीन	समूह 'क'	लेवल-13 (123100-215900/- रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं प्रोन्नत होने की स्थिति में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति के माध्यम से (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति/जांच समिति है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>अनिवार्य: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त या वैधानिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12 (78800-209200 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में न्यूनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ; या</p> <p>(iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 (67700-208700 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में न्यूनतम दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ; या</p> <p>(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री।</p> <p>वांछनीय: उपभोक्ता अधिकारों और कल्याण, उपभोक्ता नीति, विधि, चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, उत्पाद सुरक्षा, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, वित्त, प्रबंधन, सार्वजनिक मामलों या प्रशासन से संबंधित मुद्दों से निपटने का अनुभव।</p> <p>नोट-1: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर (अल्पकालिक अनुबंध सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अधीन दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।</p> <p>नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>	<p>चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – अध्यक्ष 2. आयुक्त, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – सदस्य 3. महानिदेशक (अनवेष्ण) – केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण-सदस्य 	<p>लागू नहीं</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. संयुक्त आयुक्त	01 *(2024) * कार्यभार के आधार पर विभिन्नता के अध्यक्षीन	समूह 'क'	लेवल-12 (78800-209200 रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति के माध्यम से (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

(11)	(12)	(13)
<p>अनिवार्य: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त या वैधानिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 (67700-208700 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में न्यूनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ; या</p> <p>(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री।</p> <p>वांछनीय: उपभोक्ता अधिकारों और कल्याण, उपभोक्ता नीति, विधि, चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, उत्पाद सुरक्षा, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, वित्त, प्रबंधन, सार्वजनिक मामलों या प्रशासन से संबंधित मुद्दों से निपटने का अनुभव।</p> <p>नोट-1: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर (अल्पकालिक अनुबंध सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अधीन दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।</p> <p>नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>	<p>चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आयुक्त, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण –अध्यक्ष 2. महानिदेशक (अनवेष्ण) – केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण –सदस्य 3. सचिव, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण –सदस्य 	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. संयुक्त निदेशक (विधिक)	01 *(2024) * कार्यभार के आधार पर विभिन्नता के अध्याधीन	समूह 'क'	लेवल-12 (78800-209200 रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति के माध्यम से (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

(11)	(12)	(13)
<p>अनिवार्य: अखिल भारतीय सेवाओं या केंद्रीय सिविल सेवा समूह 'क' या भारतीय कानूनी सेवा या भारतीय कंपनी कानून सेवा या स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या नियामक प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / शैक्षणिक या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या न्यायिक संस्थानों के अधिकारी :-</p> <p>(a) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 (67700-208700 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में न्यूनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ; और</p> <p>(b) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री; और</p> <p>(ii) उपभोक्ता कानून सहित संबंधित क्षेत्र (कानून) में अनुभवा।</p> <p>वांछनीय: उच्च योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।</p> <p>नोट-1: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर (अल्पकालिक अनुबंध सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अधीन दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।</p> <p>नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>	<p>चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आयुक्त, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – अध्यक्ष 2. महानिदेशक (अनवेष्ण) – केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – सदस्य 3. सचिव, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – सदस्य 	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. उप आयुक्त	01 *(2024) * कार्यभार के आधार पर विभिन्नता के अध्यक्षीन	समूह 'क'	लेवल-11 (67700-208700 रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति के माध्यम से (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

(11)	(12)	(13)
<p>अनिवार्य: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त या वैधानिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर</p>	<p>चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आयुक्त, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – अध्यक्ष 2. महानिदेशक (अनवेष्ण) – केंद्रीय 	लागू नहीं

<p>सदृश पद धारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 (56100-177500 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में न्यूनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ; या</p> <p>(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री।</p> <p>नोट-1: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर (अल्पकालिक अनुबंध सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अधीन दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।</p> <p>नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>	<p>उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – सदस्य</p> <p>3. सचिव, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – सदस्य</p>
---	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. सहायक आयुक्त	02 *(2024) * कार्यभार के आधार पर विभिन्नता के अधीन	समूह 'क'	लेवल-10 (56100-177500 रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति के माध्यम से (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

(11)	(12)	(13)
<p>अनिवार्य: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त या वैधानिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-9 (53100-167800 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में न्यूनतम दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ; या</p> <p>(iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 (47600-151100 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में न्यूनतम चार वर्ष की नियमित सेवा के साथ; या</p> <p>(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री।</p>	<p>चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आयुक्त, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – अध्यक्ष 2. महानिदेशक (अनवेषण) – केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – सदस्य 3. सचिव, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – सदस्य 	लागू नहीं

<p>नोट-1: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर (अल्पकालिक अनुबंध सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अधीन दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।</p> <p>नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. लेखा अधिकारी	01 *(2024) * कार्यभार के आधार पर विभिन्नता के अध्यक्षीन	समूह 'ख'	लेवल-8 (47600-151100 रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

(11)	(12)	(13)
<p>अनिवार्य: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी:-</p> <p>(क) (i). मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो; या</p> <p>(ii). मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 (44900-142400 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में दो वर्ष की सेवा के साथ; या</p> <p>(iii). मूल संवर्ग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा; और</p> <p>(ख) (i). चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट/एमबीए (वित्त) की व्यावसायिक योग्यताएं; या</p> <p>(ii). केंद्र/राज्य सरकारों के संगठित लेखा संवर्ग की एसएस/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या</p> <p>(iii). आईएसटीएम द्वारा आयोजित रोकड़ एवं लेखा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है; या</p> <p>(iv). खातों से संबंधित कार्य को संभालने में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।</p>	<p>चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आयुक्त, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – अध्यक्ष 2. महानिदेशक (अनवेष्ण) – केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – सदस्य 3. सचिव, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – सदस्य 	लागू नहीं

<p>वांछनीय: कम्प्यूटरीकृत कार्यालय वातावरण में काम करने हेतु सामान्य कौशल </p> <p>नोट-1: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर (अल्पकालिक अनुबंध सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अधीन दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।</p> <p>नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. निजी सचिव	01 *(2024) * कार्यभार के आधार पर विभिन्नता के अध्यक्षीन	समूह 'ख'	लेवल-7 (44900-142400 रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

(11)	(12)	(13)
<p>अनिवार्य: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी:-</p> <p>(क) (i). मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो; या</p> <p>(ii). मूल संवर्ग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 (35400-112400 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित योग्यताएं रखते हुए:</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक की डिग्री; और</p> <p>(ii) आशुलिपि और टाइपिंग में कौशल; और</p> <p>(iii) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।</p> <p>वांछनीय: उच्च योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी</p> <p>नोट-1: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर (अल्पकालिक अनुबंध सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अधीन दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।</p> <p>नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आयुक्त, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – अध्यक्ष 2. महानिदेशक (अनवेष्ण) – केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – सदस्य 3. सचिव, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – सदस्य 	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. सहायक	05* *(2024) * कार्यभार के आधार पर विभिन्नता के अध्यक्षीन	समूह 'ख'	लेवल-6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

(11)	(12)	(13)
<p>अनिवार्य: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी:-</p> <p>(क) (i). मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो; या</p> <p>(ii). मूल संवर्ग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-5 (29200-92300 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा; और</p> <p>(iii). मूल संवर्ग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 (25500-81100 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में न्यूनतम दस वर्ष की नियमित सेवा; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित योग्यताएं रखते हुए:</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक की डिग्री; और</p> <p>(ii) टाइपिंग में कौशल; और</p> <p>(iii) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।</p> <p>नोट-1: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर (अल्पकालिक अनुबंध सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अधीन दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।</p> <p>नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आयुक्त, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – अध्यक्ष 2. महानिदेशक (अनवेष्ण) – केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – सदस्य 3. सचिव, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – सदस्य 	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. आशुलिपिक श्रेणी-I	02 *(2024) * कार्यभार के आधार पर विभिन्नता के अध्यक्षीन	समूह 'ख'	लेवल-6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

(11)	(12)	(13)
<p>अनिवार्य: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी:-</p> <p>(क) (i). मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो; या</p> <p>(ii). मूल संवर्ग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-5 (29200-92300 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा; और</p> <p>(iii). मूल संवर्ग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 (25500-81100 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में न्यूनतम दस वर्ष की नियमित सेवा; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित योग्यताएं रखते हुए:</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक की डिग्री; और</p> <p>(ii) आशुलिपि और टाइपिंग में कौशल; और</p> <p>(iii) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।</p> <p>वांछनीय: उच्च योग्यता और अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।</p> <p>नोट-1: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर (अल्पकालिक अनुबंध सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अधीन दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।</p> <p>नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आयुक्त, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – अध्यक्ष 2. महानिदेशक (अनवेष्ण) – केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – सदस्य 3. सचिव, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – सदस्य 	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. विधिक सहायक	01 *(2024) * कार्यभार के आधार पर विभिन्नता के अध्यक्षीन	समूह 'ख'	लेवल-6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

(11)	(12)	(13)
<p>अनिवार्य: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी:-</p> <p>(क) (i). मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो; या</p> <p>(ii). मूल संवर्ग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-5 (29200-92300 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित योग्यताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात्:-</p> <p>(i) बैचलर ऑफ लॉ (प्रोफेशनल) या समकक्ष; और</p> <p>(ii) उपभोक्ता कानून सहित संबंधित क्षेत्र (कानून) में तीन साल का अनुभव।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(i) नियामक प्राधिकरण या वैधानिक निकायों या अन्य सरकारी संस्थानों से निपटने में कार्य अनुभव;</p> <p>(ii) कंप्यूटर का कामकाजी ज्ञान और टाइपिंग में कौशल।</p> <p>नोट-1: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर (अल्पकालिक अनुबंध सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अधीन दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।</p> <p>नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आयुक्त, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – अध्यक्ष 2. महानिदेशक (अनवेष्ण) – केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण –सदस्य 3. सचिव, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – सदस्य 	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. आईटी सहायक	01 *(2024) * कार्यभार के आधार पर विभिन्नता के अध्यक्षीन	समूह 'ख'	लेवल-6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

(11)	(12)	(13)
<p>अनिवार्य: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी:-</p> <p>(क) (i). मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो; या</p> <p>(ii). मूल संवर्ग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-5 (29200-92300 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित योग्यताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात्:-</p> <p>(i) कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री या कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर डिग्री या टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री या इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री या विज्ञान (सूचना प्रौद्योगिकी) में मास्टर डिग्री या समकक्ष।</p> <p>(ii) संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>नोट-1: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर (अल्पकालिक अनुबंध सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अधीन दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।</p> <p>नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आयुक्त, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – अध्यक्ष 2. महानिदेशक (अनवेष्ण) – केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – सदस्य 3. सचिव, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – सदस्य 	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. आशुलिपिक श्रेणी-II	01 *(2024) * कार्यभार के आधार पर विभिन्नता के अध्याधीन	समूह 'ग'	लेवल-4 (25500-81100 रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

(11)	(12)	(13)
<p>अनिवार्य: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी:-</p> <p>(क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो; या</p> <p>(ख) निम्नलिखित योग्यताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात्:-</p>	<p>चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – सदस्य 2. लेवल-10 या उससे ऊपर के कोई भी समूह 'क' के दो अधिकारी। 	लागू नहीं

<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक डिग्री; और</p> <p>(ii) आशुलिपि और टाइपिंग में कौशल; और</p> <p>(iii) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।</p> <p>वांछनीय: उच्च योग्यता और अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।</p> <p>नोट-1: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर (अल्पकालिक अनुबंध सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अधीन दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।</p> <p>नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	
---	--

[फा. सं. 9/11/2019-सीपीयू (भाग-1)]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd June, 2024

G.S.R. 306(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clause (h) of sub-section (2) of section 101 read with sub-sections (1) and sub-section (2) of section 13 of the Consumer Protection Act,2019 (35 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Central Consumer Protection Authority (Recruitment, Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Officers and Other Employees of Central Authority) Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.** - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) “Act” means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);
 - (b) “employee” means an employee of the Central Authority including the Secretary, officers, and other employees;
 - (c) “Schedule” means the Schedule annexed to these rules.
 - (2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
3. **Recruitment and appointment of employees.-** (1) The number of posts sanctioned at each level or grade, mode of recruitment, and eligibility for each level or grade shall be as specified in the Schedule.
 - (2) Appointment in all levels or grades shall be made by the Central Government as per the recommendations of the Selection Committee as specified in the schedule.
 - (3) The Central Authority shall invite applications from eligible candidates after observing due process, examine the suitability of their candidature, and provide the list of eligible candidates to the Selection Committee to undertake the selection process.
4. **Pay, allowances, and other benefits.-** (1) Pay of an employee shall be such as per the level in the pay matrix as specified in the Schedule.

(2) An employee appointed on deputation to an *ex-cadre* post may elect to draw either the pay in the scale of pay of the *ex-cadre* post or his pay in the parent cadre with deputation allowance.

5. **Official visits abroad.-** (1) The official visits abroad by an employee shall be undertaken with the prior approval of the Chief Commissioner or Commissioner of the Central Authority.

(2) For the purpose of official visits abroad by an employee, the instructions issued by the Ministry of External Affairs and Ministry of Finance shall be applicable.

6. **Residuary provision.-** Matters relating to the terms and conditions of service of the employees with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred by the Authority to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government shall be final and binding on the parties.

7. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Secretary.	01 *(2024) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level-13 (Rs.123100-215900).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment / whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Selection Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Essential: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings, - (a) (i). holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii). with a minimum of five years of regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-12 (Rs.78800-209200) in	Selection committee consisting of : 1. Chief Commissioner, Central Consumer Protection Authority – Chairperson 2. Commissioner, Central Consumer Protection Authority – Member 3. Director General (Investigation) – Central Consumer Protection Authority –Member	Not applicable.

<p>the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii). with a minimum of ten years of regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing a Bachelor's degree from a recognised university.</p> <p>Desirable: Possessing experience in dealing with issues relating to consumer rights and welfare, consumer policy, law, medicine, food safety, health, engineering, product safety, commerce, economics, finance, management, public affairs or administration.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years which may be extended for another two years subject to the maximum period of five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Joint Commissioner.	01 *(2024) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level-12 (Rs.78800-209200).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract)

(11)	(12)	(13)
<p>Essential: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings, -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with a minimum of five years of regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-11(Rs.67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing a Bachelor's degree from a recognised university.</p> <p>Desirable: Possessing experience in dealing with issues</p>	<p>Selection committee consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Commissioner, Central Consumer Protection Authority– Chairperson 2. Director General (Investigation) – Central Consumer Protection Authority –Member 3. Secretary, Central Consumer Protection Authority – Member 	Not applicable.

<p>relating to consumer rights and welfare, consumer policy, law, medicine, food safety, health, engineering, product safety, commerce, economics, finance, management, public affairs or administration.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years which may be extended for another two years subject to the maximum period of five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Joint Director (Legal).	01 *(2024) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level-12 (Rs.78800-209200).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract)

(11)	(12)	(13)
<p>Essential: Officers from the All India Services or Central Civil Services Group 'A' or Indian Legal Service or Indian Company Law Service or autonomous body or statutory organisation or regulatory authorities or recognised Universities or academic or recognised research institutes or Judicial institutions :</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with a minimum of five years of regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-11(Rs.67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) (i) possessing a Bachelor's degree in law from a recognised University; and (ii) having experience in the relevant field of Law including in Consumer Law.</p> <p>Desirable: Higher qualification and experience shall be given preference.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years which may be extended for another two years subject to the maximum period of five years.</p>	<p>Selection committee consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Commissioner, Central Consumer Protection Authority – Chairperson 2. Director General (Investigation) – Central Consumer Protection Authority –Member 3. Secretary, Central Consumer Protection Authority – Member 	Not applicable.

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Deputy Commissioner.	01 *(2024) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level-11 (Rs.67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract)

(11)	(12)	(13)
<p>Essential: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings:-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with a minimum of five years of regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-10(Rs.56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing a Bachelor's degree from a recognised University.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years which may be extended for another two years subject to the maximum period of five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Selection committee consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Commissioner, Central Consumer Protection Authority – Chairperson 2. Director General (Investigation) – Central Consumer Protection Authority –Member 3. Secretary, Central Consumer Protection Authority – Member 	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Assistant Commissioner.	02 *(2024) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Level-10 (Rs.56100-177500).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract)

(11)	(12)	(13)
<p>Essential: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings, -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with a minimum of two years of regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-9(Rs.53100-167800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with a minimum of four years of regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing a Bachelor's degree from a recognised University.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years which may be extended for another two years subject to the maximum period of five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Selection committee consisting of</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Commissioner, Central Consumer Protection Authority – Chairperson 2. Director General (Investigation) – Central Consumer Protection Authority –Member 3. Secretary, Central Consumer Protection Authority – Member 	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Accounts Officer.	01 *(2024) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level-8 (Rs.47600-151100).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract)

(11)	(12)	(13)
<p>Essential: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings, -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with a minimum of two years of regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7(Rs.44900-142400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p>	<p>Selection committee consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Commissioner, Central Consumer Protection Authority – Chairperson 2. Director General (Investigation) – Central Consumer Protection Authority –Member 3. Secretary, Central Consumer Protection Authority – Member 	Not applicable.

<p>(iii) with a minimum of six years of regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6(Rs.35400-112400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre; and</p> <p>(b) (i) Member of the Institute of Chartered Accountant of India or of the Institute of Cost Accountants of India or Master of Business Administration; or</p> <p>(ii) having passed SAS or equivalent examination of organised Accounts cadre of Central Government or State Government; or</p> <p>(iii) having successfully completed cash and accounts Training organised by Institute of Secretariat Training and Management; or</p> <p>(iv) having at least five years' experience in handling accounts related work.</p> <p>Desirable: Basic skills for working in a computerised office environment.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years which may be extended for another two years subject to the maximum period of five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	
--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Private Secretary.	01 *(2024) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level-7 (Rs.44900-142400).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract)

(11)	(12)	(13)
<p>Essential: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings, -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with a minimum of five years of regular service, in the grade rendered after appointment to the post on regular basis in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following qualifications:</p>	<p>Selection committee consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Commissioner, Central Consumer Protection Authority – Chairperson 2. Director General (Investigation) – Central Consumer Protection Authority –Member 3. Secretary, Central Consumer Protection Authority – Member 	<p>Not applicable.</p>

<p>(iv) Bachelor's degree from a recognised university or equivalent;</p> <p>(v) skill in stenography and typing; and</p> <p>(vi) working knowledge of computer.</p> <p>Desirable: Higher qualification and experience will be given preference.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years which may be extended for another two years subject to the maximum period of five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	
--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Assistant.	05* *(2024) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level-6 (Rs.35400-112400).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract)

(11)	(12)	(13)
<p>Essential: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings, -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with a minimum of six years of regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5(Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with a minimum of ten years' of regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4(Rs.25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following qualifications:</p> <p>(iv) Bachelor's degree from a recognised university or equivalent;</p> <p>(v) skill in typing; and</p> <p>(vi) working knowledge of computer.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the</p>	<p>Selection committee consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Commissioner, Central Consumer Protection Authority – Chairperson 2. Director General (Investigation) – Central Consumer Protection Authority-Member 3. Secretary, Central Consumer Protection Authority – Member 	<p>Not applicable.</p>

Central Government shall ordinarily not exceed three years which may be extended for another two years subject to the maximum period of five years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. Stenographer Grade-I.	02 *(2024) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level-6 (Rs.35400-112400).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract)

(11)	(12)	(13)
<p>Essential: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings:-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with a minimum of six years of regular service, in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5(Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with a minimum of ten years' of regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4(Rs.25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following qualifications:</p> <p>(i) Bachelor's degree from a recognised university;</p> <p>(ii) skill in stenography and typing; and</p> <p>(iii) working knowledge of computer.</p> <p>Desirable: Higher qualification and experience shall be given preference.</p> <p>Note 1:The period of deputation including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years which may be extended for another two years subject to the maximum period of five years.</p> <p>Note 2:The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Selection committee consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Commissioner, Central Consumer Protection Authority – Chairperson 2. Director General (Investigation) – Central Consumer Protection Authority –Member 3. Secretary, Central Consumer Protection Authority – Member 	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. Legal Assistant.	01 *(2024) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level-6 (Rs.35400-112400).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract)

(11)	(12)	(13)
<p>Essential: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings, -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with a minimum of six years of regular service, in the grade rendered after appointment to the post on regular basis in level-5(Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following qualifications and experience, namely :-</p> <p>(i) Bachelor's degree in law from a recognised university; and</p> <p>(ii) with three years' experience in the relevant field (Law), including in Consumer Law.</p> <p>Desirable:</p> <p>(iii) working experience in dealing with regulatory authority or statutory bodies or other Government Institutions;</p> <p>(iv) working knowledge of computer and skill in typing.</p> <p>Note 1:The period of deputation including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years which may be extended for another two years subject to the maximum period of five years.</p> <p>Note 2:The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Selection committee consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Commissioner, Central Consumer Protection Authority– Chairperson 2. Director General (Investigation)– Central Consumer Protection Authority –Member 3. Secretary, Central Consumer Protection Authority – Member 	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Information Technology (IT) Assistant.	01 *(2024) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level-6 (Rs.35400-112400).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract)

(11)	(12)	(13)
<p>Essential: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings, -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with a minimum of six years of regular service, in the grade rendered after appointment to the post on regular basis in level-5(Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following qualifications and experience, namely :-</p> <p>(i) Master's degree in Computer Applications or Bachelor's degree in Computer Applications or Bachelor's degree in Technology or Bachelor's Degree in Engineering or Master's degree in Science (Information Technology) ; and</p> <p>(ii) having minimum three years' experience in the relevant field.</p> <p>Note 1:The period of deputation including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years which may be extended for another two years subject to the maximum period of five years.</p> <p>Note 2:The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Selection committee consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Commissioner, Central Consumer Protection Authority-Chairperson 2. Director General (Investigation) – Central Consumer Protection Authority-Member 3. Secretary, Central Consumer Protection Authority – Member 	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. Stenographer Grade-II.	01 *(2024) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'	Level-4 (Rs.25500-81100).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract)

(11)	(12)	(13)
<p>Essential: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings, -</p> <p>(a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following qualifications namely :-</p> <p>(i) Bachelor's degree from a recognised university;</p> <p>(ii) skill in stenography and typing; and</p> <p>(iii) working knowledge of computer.</p> <p>Desirable: Higher qualification and experience shall be given preference.</p> <p>Note 1:The period of deputation including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years which may be extended for another two years subject to the maximum period of five years.</p> <p>Note 2:The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Selection committee consisting of :</p> <p>1. Secretary, Central Consumer Protection Authority – Member</p> <p>2. Any two Group A Officers of level-10 or above.</p>	Not applicable.

[F. No. 9/11/2019-CPU (part-1)]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.